

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:- 1615 / FP/UK/ROAD/20224/2016 देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.879 है०  
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/20224/2016  
महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- 1707 दिनांक 29-12-16 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या FP/UK/ROAD/20224/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
16. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
17. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती (टि०ग०)।
18. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
19. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
20. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्वाली सौड (उत्तरकाशी)।

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.879है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
FP/UK/ROAD/20224/2016

3. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

21. उपरोक्त योजना हेतु जनपद उत्तरकाशी में 3.549है0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.33है0 राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 4.879है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी। तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.  
Land Survey Directorate  
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 29 / 12 / 2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1707/ FP/UK/ROAD/20224/2016: देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.879 है0  
वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/ROAD/20224/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या- Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की  
एक प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980  
के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या 1707/ FP/UK/OAD/20224/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।